भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 569

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 नवम्बर, 2016/27 कार्तिक, 1938 (शक) को दिया जाना है)

शहरी विकास प्राधिकरण को कर छूट

569. श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः

श्रीमती पूनमबेन माडमः

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोशः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शहरी विकास प्राधिकरण सांविधिक प्राधिकरण है और समाज के कल्याण के लिए योजना और विकास संबंधी कार्यों को करती है और उनकी क्रियाओं को वाणिज्य, व्यापार और उद्योग की प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्राधिकरणों को 2002-2003 तक आयकर अधिनियम, 1961 के आयकर यू/एस 6 (20-4) से छूट मिलती थी और 01.04.03 से उनकी आय को कर योग बना दिया गया है और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने सरकार से उक्त प्राधिकरणों को गहरी सीमांतों के विकास हेतु आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए अनुकूल कार्रवाई का मुद्दा उठाया है; और

(ङ) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) तथा (ख) शहरी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य विकास प्राधिकरण के अंतर्गत किया गया है और यह नियोजन और विकास का कार्य करता है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक-एक शहरी विकास प्राधिकरण हैं जैसे कि एचयूडीए, पीयूडीए, एचआईएमयूडीए, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उनके निजी शहरी विकास प्राधिकरण हैं।

ये शहरी विकास प्राधिकरण नागरिकों के लिए भवन निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। यह प्रश्न की क्या विकास प्राधिकरण के कार्यों को व्यापार वाणिज्य या कारोबार के रूप में माना जा सकता है या नहीं, एक तथ्यगत विषय है और इसके बारे में भी विनिश्चिय मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना है।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 (इस अधिनियम) की धारा 10 (20क), दिनांक 01.04.2003 से वित्त अधिनियम, 2002 के द्वारा इसको निरसित किए जाने के पूर्व, में यह प्रावधान था कि किसी प्राधिकरण, जिसका गठन भारत में अधिनियमित किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत तथा शहरों, कस्बों और गांवों में आवास की जरूरत को पूरा करने या नियोजन, विकास या सुधार के लिए या दोनों ही उद्देश्य के लिए किया गया हो, को होने वाली किसी भी आय को कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इस धारा को निरसित किए जाने के बाद से ऐसे प्राधिकरणों को अव छूट का लाभ नहीं मिल सकता है। हालांकि, धारा 2(15) के दायरे में आने वाले निकाय इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात इस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत छूट का दावा कर सकते हैं।

(घ) जी हां।

(ड.) गुजरात सरकार के दिनांक 26.10.2015, 06.09.2016 और 28.09.2016 के पत्रों में यह अनुरोध किया गया था कि इस अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाए जिससे कि शहरी विकास प्राधिकरण को छूट दी जा सके। हालांकि, इन पर विचार किया गया लेकिन सुझाए गए संशोधन को व्यावहारिक नहीं पाया गया और तदनुसार उत्तर दे दिया गया है।